अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1017/22 (CIS NO. 1017/22)

अभिमन्यु नारवानी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं0 1017/2022

अभिमन्यु नारवानी बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 04.06.2026

अधिवक्ता अपीलार्थी श्री संदीप राव उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा उपस्थित।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से हस्तगत अपील के माध्यम से निम्नप्रकार अनुतोष चाहा गया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में उपबंधित प्रावधानान्तर्गत विलंब को उपमर्षित किये जाने के प्रार्थना पत्र सहित यह संविधिक अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि इस अपील को स्वीकार कर प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिनस्थ जोन पीआरएन–दक्षिण द्वितीय के उपायुक्त द्वारा कैलाश विहार द्वितीय योजना की जेडएलसी की बैठक दिनांक 08.08.2022 व अनुमोदित मानचित्र में अपीलार्थी के प्लाट सं0 17 जिसका विस्तार से वर्णन अपील के पैरा 1 लगायत 4 में अंकित किया गया है, के समाने स्थित 60 फीट रोड को 24 मीटर दर्शा कर अलाईन्मेंट को गलत दर्शा कर अपीलार्थी के प्लाट के उंपर से रोड दर्शाते हुए जेडएलसी की बैठक दिनांक 08.08.2022 में पारित निर्णय व अनुमोदित मानचित्र को निरस्त करने तथा इस अपील के विचाराधीन रहने के अवधि में प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिनस्थ उपायुक्त जोन पीआरएन–दक्षिण–द्वितीय की जेडएलसी की बैठक दिनांक 08.08.2022 में पारित निर्णय व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार प्रार्थी के प्लाट सं0 17 में से रोड नहीं निकालने, ध्वस्त नहीं करने व उपयोग व उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु ताफैसला अपील जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रत्यर्थी सं0 1व उसके अधिनस्थ प्रत्यर्थी सं0 2 जोन पीआरएन–दक्षिण–द्वितीय के उपायुक्त प्रवर्तन अधिकारी को पाबंद करने एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिनस्थ उपायुकत जोन पीआरएन–दक्षिण–द्वितीय को अपीलार्थी के प्लाट सं0 17 के सामने रोड एलाईन्मेंट को सही करने व रोड को 24 मीटर के स्थान पर 60 फीट करने हेतु निदेश/आदेश प्रदान करने तथा अपीलार्थी के प्लाट सं0 17 जिसका विस्तार

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1017/22 (CIS NO. 1017/22)

अभिमन्यु करमानी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म तामील में जारी हुए
	से वर्णन अपील के पैरा 1 लगायत 4 में अंकित किया गया है, के उपयोग व उपभोग में प्रत्यर्थी सं0 1 व उसके अधिनस्थ जोन–पीआरएन–दक्षिण–द्वितीय के उपायुक्त, अधिकारी व कर्मचारी कोई बाधा नहीं डाले न डलावे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलार्थी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब क्षमा किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है। प्रत्यर्थीगण जविप्रा की ओर से हस्तगत अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि भूखण्ड सं0 17 को अपीलार्थी द्वारा क्रय दिनांक 10.12.2020 से काबिज होने एवं चारों भुजाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र में दर्शित सडकों की चौडाई निश्चित की गयी है जो नियमानुसार सही है। जविप्रा द्वारा जविप्रा की योजना पृथ्वीराज नगर के लिए अवाप्त की गयी भूमि पर सृजित गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं का नियमन विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही नियमानुसार किया जाता है। उक्त योजना का नियमन भी जेडएलसी दिनांक 08.08.2022 के अनुसार ही किया गया है। जविप्रा द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही सेक्टर रोडों एवं मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्धारण कर ही सडकों की चौडाई निर्धारित की जाती है। रोड सीमा में आने वाले भूखण्डों का नियमन नहीं किया जाता है तथा जविप्रा की कैलाश विहार द्वितीय योजना का नियमन हेतु जेडएलसी दिनांक 08.08.2022 नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही की गयी है। प्रश्नगत भूखण्डों पर से गुजर रही सेक्टर सडक का मास्टर प्लान द्वारा परीक्षण करवाकर जोनल प्लान के अनुसार सडक को संशोधित कर पट्टा जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जविप्रा द्वारा अनुमोदित नक्शें में 24 मीटर रोड की सीमा नियमानुसार निर्धारित की गयी है जिसे विलोपित करवाने पर आमजनता को नुकसान होता है तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है।	

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1017/24 (CIS NO. 1017/22)

अभिमन्यु नारवानी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हो रही है कि कैलाश विहार–द्वितीय योजना का कैम्प लगाया जा चुका है। आपत्ति (निर्णय सं0 4) के अनुसार रिजर्व है। प्रार्थी का भूखण्ड सं0 17 है। अतः यह अधिकरण हस्तगत अपील का निम्नप्रकार निस्तारण किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

अपीलार्थी अभिमन्यु नारवानी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील में यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि कम 4 निर्णय के अनुसार अंतिम निर्णय लेने से पूर्व जविप्रा निर्माण को क्षतिग्रस्त या सील नहीं करे। आपत्ति पर प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देवे एवं निर्णय से अवगत कराते हुये 15 दिन का समय पालना हेतु दिया जावे। जविप्रा विशेष कथन के संबंध में स्वीकृति अनुसार विधि अनुसार आवेदन होने पर कार्यवाही करे। प्रा0 पत्र मौका कमिश्नर स्वतः ही निस्तारित माना जाए। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **04.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।